[Shri T. N. Singh]

on. In regard to the previous ones. the Judge who enquired into them has not attributed any political motive.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : यह रिपोर्ट कितने रोज में आ जायेगी ? क्या इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, यदि हां, तो कितने लोगों को ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने इस कमेटी को हिदायत दी है कि जल्दी से यह अपनी रिपोर्ट दे दे। इंटेरिम रिपोर्ट शायद आज या कल मिल जाएगी। इसके बाद पूरी रिपोर्ट भी मिल जाएगी।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, यह भी मैंने जानना चाहा था।

श्री त्रि० ना० सिंह : रिपोर्ट आ जाएगी, तब पता चल जाएगा।

14.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 1957 AND COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) ACT, 1957.

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications:—

(i) G.S.R. 1144 dated the 15th August, 1964, under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. [*Placed in Library. See* No. LT-3162/64].

(ii) The Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Second Amendment Rules, 1964, published in Notification No. S.O. 3051 dated the 5th September, 1964, under sub-section (3) of section 27 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957. [*Placed in Library. See* No. LT-2163/64].

STATEMENT IN REPLY TO MEMORANDUM RECEIVED FROM A MEMBER IN RESPECT OF DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1964-65.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): Sir, I beg to lay on the Table a statement containing reply to Memorandum received from a Member in respect of Demands for Grants (Railways), 1964-65. [*Placed in Library. See* No. LT-3164/64].

ANNUAL REPORT OF THE REHABILITATION INDUSTRIES CORPORATION LIMITED CALCUTTA.

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Annual Report of the Rehabilitation Industries Corporation Limited, Calcutta, for the year 1962-63, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.. [*Placed in Library. See* No. LT-3165/64].

14.38 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 21st September, 1964, will consist of:

(1) Consideration of any item of Government Business carried

[Shri Satya Narayan Sinha]

over from today's Order Paper.

(2) Consideration and passing of:

The Representation of the People (Amendment) Bill, 1964.

The Legal Tender (Inscribed Notes) Bill, 1964.

(3) Discussion on the Proclamation issued by the President under article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala on a resolution to be moved by the Minister of Home Affairs.

(4) Consideration and passing of:

The High Court Judges (Conditions of Service Amendment) Bill, 1964.

The Direct Taxes (Amendment) Bill 1964.

The Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 1963, as reported by Joint Committee.

(5) Discussion on the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto on a motion to be moved by the Minister of External Affairs on Friday, the 25th September, 1964, after disposal of questions.

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती (झज्जर) : आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने बाढ़ की स्थिति पर बड़ा प्रकाश डाला है और सब से अधिक उन्होंने झज्जर की चर्चा की है। मैंने आप से प्रार्थना भी की थी कि इस पर चर्चा करने के लिए आप समय निर्धारित करदें। मैं बड़े आदर से अब फिर प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर चर्चा चलाने के लिए आप समय दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ने नोटिस दी हुई है?

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : जी हां, दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मिनिस्टर साहब से बात की थी। वह नोटिस जब कमेटी में हो कर आ जायेगी तब चर्चा हो जायेगी।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : मैं चाहता हूं कि इस को प्रथम अवसर दिलवा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप मुझ से कह रहे हैं, वह कमेटी में कह दें तो उस को वे पहले रख लेंगे।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I requested last time that we should have a discussion on three items. The first was the Bonus Commission Report. The hon. Minister stated that legislation was being brought in to give statutory power to the Bonus Commission Report. Now we find a deviation from that. Since there is a growing agitation throughout the country amongst the workers because of the non-implementation of the decisions of the Bonus Commission, there should be a discussion of that Report.

Mr. Speaker: What is the next point? No speech need be made on this.

Shri S. M. Banerjee: The real point is they do not want to bring it, though they had already admitted a motion. Secondly, there is another motion before the House about the Mahalanobis Committee Report and another one about the Santhanam Committee Report. I suggest that both the reports may be taken up together.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): How can they be taken up together?

Shri S. M. Banerjee: Why not?

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन था कि भ्रष्टाचार निवारण कमेटी के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव

[श्री बागड़ी]

है वह अगले हफ्ते में जरूर लिया जाये। और यदि इस सप्ताह के अन्दर जो पिछड़ी क्लासेज कमिशन की रिपोर्ट है उस को लिया जा सके तो उसे भी जरूर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अण्टाचार के बारे में तो इतने दिन विचार करते रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अनियत दिन वाले प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह स्वीकृत हुआ है कि दास कमिशन की रिपोर्ट पर विचार किया जाये। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी घटना हो गई है कि किस तरह से हम लोग अपने यहां सदाचार का स्टैन्डर्ड कायम कर रहे हैं। इसलिये इसके ऊपर इस अधिवेशन में अवश्य विचार कर लिया जाये। मेरा यही अनुरोध है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार इस हाउस के सामने रेजोल्यूशन पेश किया है और आप से तथा मंत्री महोदय से भी कहा है कि अब चौथी प्लान ड्राफ्ट हो रही है इसलिये इस हाउस के अन्दर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पर जो गुलाटी कमिशन की रिपोर्ट है, जो कि इस हाउस के सामने आ चुकी है उस पर अगर हम बहस न करें तो जो हमारी अन्न की समस्या है और उस के लिये जो प्रोजेक्ट्स हैं वे सब रक्खी रह जायेंगी, दूसरे जो आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर की नेशनल प्रोजेक्ट है उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिये इस को जल्दी से जल्दी लिया जाये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, आप की सहमति से इस सदन ने यह निर्णय लिया था कि हर सप्ताह कम से कम एक मोशन ऐसा लिया जायेगा जो कि प्राइवेट मेम्बर्स की तरफ से मूव किया जायेगा। आप उसे चाहे वेडसडे को ले या किसी दूसरे दिन लें, लेकिन उस पर ढाई घंटे का समय निश्चित किया जायेगा। इस सप्ताह के अन्दर एक भी मोशन इस तरह का नहीं है। मैं नहीं कहता कि यह मोशन लिया जाये या वह मोशन लिया जाये। जो सबकमेटी आप ने नियुक्त की है वह तय करेगी इस को, लेकिन ऐसे मोशन के लिये कम से कम ढाई घंटे का समय अगले हफ्ते के अन्दर अलग रक्खा जाना चाहिये। सब कमेटी यह तय कर सकती है कि वह दास कमिशन रिपोर्ट हो या क्या हो, लेकिन यह आश्वासन कम से कम इस हाउस को हो जाना चाहिये कि अगले सप्ताह वह ढाई घंटे का समय इस काम के लिये देंगे।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : मेरी अर्ज यह है कि, जैसा माथुर साहब ने फरमाया, दास कमिशन की रिपोर्ट जो है वह कोई मामूली केस नहीं है। इसके बारे में तमाम हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया ने महसूस किया कि किस तरह से एन्क्वायरी का रेजल्ट हुआ और आप की इजाजत से यहां पर डिस्कशन हुआ, वर्ना मुश्किल था फिर यह दास कमिशन जिसके बारे में इतना प्रचार हो और यहां रेजोल्यूशन पेश किया जाये, उस केस को बीच में पोस्टपोन करना बड़ी ज्यादती होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री लहरी सिंह साहब से कहना चाहता हूं कि जब इस वक्त पार्लियामेंटरी अफेअर्स के मिनिस्टर अपना स्टेटमेंट दिया करते हैं तो मैं मौका देता हूं इस बात के लिये कि अगर कोई मेम्बर साहब चाहें कि चूंकि फलां आइटेम इस हफ्ते में नहीं आया है और उसको रक्खा जाना चाहिये, तो वे पूछ सकते हैं कि वह सप्ताह के अन्दर आ सकेगा या नहीं और कह सकते हैं कि चूंकि वह बहुत जरूरी है इसलिये उसे लाया जाये। जो कुछ आपने कहा वह तो श्री शास्त्री ने बतला दिया। उसको दुबारा कहने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आ सकती हैं वह आयेंगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब क्या कहना चाहते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो सत्र चल रहा है जिसके लिये हम को बतलाया गया है कि यह 3 अक्तूबर तक चलेगा, वह बढ़ाया तो नहीं जायेगा । इसके बारे में क्या खयाल है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह तो पहल ही तय हो चुका है कि यह जो अधिवेशन चल रहा है वह 3 तारीख के बाद नहीं बढ़ेगा क्योंकि 4 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाते हैं । यह फैसला पहले हो चुका है । नवरात्र के दिनों में और क्रिस्मस के दिनों में इंडेपेंडेंस के बाद जेनरली हम लोगों ने अब तक कोई सेशन नहीं किया है । इस लिये सिर्फ 3 अक्तूबर तक ही यह सेशन चलेगा ।

रहा ढाई घंटे की बहस के सम्बन्ध में । मैं इसको मानता हूं कि इससे पहले हफ्ते में कोई न कोई बहस रखी जाती रही है, लेकिन माननीय सदस्य कबूल करेंगे कि दो सप्ताह हो गये इस अधिवेशन को शुरू हुए और अभी तक कोई लेजिस्लेशन का काम यहां नहीं हुआ । किसी कारण से हुआ हो यह बात दूसरी है । पहले फूड डिबेट हुआ और नो कांफिडेंस मोशन चला । काफी समय इसमें लग गया । जो हमारा मेन काम होता है लेजिस्लेशन का वह अब तक नहीं हो सका है । ऐसी हालत में जरूरी है कि इस अवधि में जो भी आवश्यक काम है उसे पूरा कर लिया जाये । चूंकि हम इस अधिवेशन को बढ़ा नहीं सकते इसलिये कुछ कहा तो नहीं जा सकता लेकिन जरूरी काम को निपटाने के बाद अगर समय रहेगा तो हम ढाई घंटे का समय इस के लिये रखने की कोशिश करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : : बोनस कमिशन है, गुलाटी कमिशन है उसके बारे में ।

श्री सत्य नारायण सिंह : दास कमिशन रिपोर्ट आई, बोनस कमिशन रिपोर्ट आई बैकवर्ड क्लासेज कमिशन रिपोर्ट है, गुलाटी कमिशन रिपोर्ट है, हर एक आदमी अपनी बात कहता है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : फलड का मामला तो रक्खा ही जाना चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : हां, जरूर है । क्या स्वामी जी भी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : मैं तो फलड के बारे में ही कह रहा था ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यज्ञ सम्बन्धी कोई बात तो नहीं है न ।

श्री रामेश्वरानन्द : यज्ञ की बात तो तब होगी जब आप हट जायेंगे ।

श्री सत्यनारायण सिंह : किनने ही विषय आये हैं, मैं सब के बारे में कुछ नहीं कह सकता साफ बात है कि इतने मोशन तो इस सेशन में आ नहीं सकते । कई मिनिस्टरों से उनका सरोकार है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दे दें कि फलड को पहले लिया जाये ।

श्री गुलशन (भटिंडा) : शेड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट के बारे में . . .

अध्यक्ष महोदय : वह तो नहीं कहा जा सकता, उन्होंने जवाब भी दे दिया ।

श्री बागड़ी : उन्होंने 'हां' या 'नहीं' कुछ नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि आगे देखेंगे, 'हां' या 'नहीं' कैसे कह सकते हैं ।